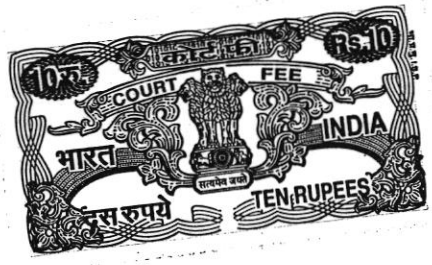

(48)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र.   /निगरानी/I/2017–शिवपुरी

I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/4402

श्री कुंवर सिंह कुशवाह अभि० द्वारा आज दि. 13-11-17 को प्रस्तुत

13-11-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र० दि० 21-11-17

मनीष कुमार शर्मा पुत्र श्री सतीश चन्द्र शर्मा, निवासी– ग्राम सतनवाड़ा खुर्द तहसील व जिला शिवपुरी, हाल निवास– सुनार गली, शिवपुरी (म.प्र.) .....आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी (म.प्र.)
.........अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्र. 310/2017–18 मनीष कुमार शर्मा/शासन आदेश दिनांक 25.10.2017 को पारित।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्र. 61/91–92 स्वप्रेरण निगरानी में लेकर दिनांक 28.03.92 के खिलाफ भूलवश बोर्ड में पेश की के बाद अपर आयुक्त के यहां फिर पेश की जिसका आदेश दिनांक 25.10.2017 को हुआ के खिलाफ यह निगरानी आवेदन पत्र समय सीमा में होने से स्वीकार किये जाने योग्य है।

निगरानी के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया है। वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
3. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम सतनबाड़ा खुर्द के सर्वे नंबरों का ... को निविदा आवेदन आमंत्रित कर जांच उपरांत चौपाल पर

कुंवरसिंह कुशवाह (अभिभाषक)
13/11/17

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/4402 जिला – शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/12/17	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया । अपर आयुक्त के आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा उनके समक्ष कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी में पारित आदेश के विरूद्ध प्रकरण पेश किए जाने के कारण सुनवाई की अधिकारिता न होने से समाप्त किया गया है । अपर आयुक्त के आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है क्योंकि निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार अपर आयुक्त को न होकर राजस्व मण्डल को है । प्रकरण को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि कलेक्टर, शिवपुरी द्वारा प्र0क्र0 स्व.निग0 61/91–92/अपील में पारित आदेश दिनांक 28–3–92 को वर्ष 2017 में अर्थात 35 वर्ष उपरांत आवेदक द्वारा चुनौती दी गई है । इस दीर्घकालीन विलंब के संबंध में उनके द्वारा कोई ठोसे एवं समाधान कारक कारण आवेदक द्वारा ना तो निगरानी मेमो में और ना ही तर्कों में बताया गया है । ऐसी स्थिति में इस निगरानी को ग्राह्य किए जाने का कोई औचित्य नहीं है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । प्रशा0 सदस्य	